न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री मांगीलाल राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या:— 206 / 2024

प्रार्थीगण बनाम **अप्रार्थीगण**

1. नाथुसिंह पुत्र जगेसिंह
2. मुकनसिंह पुत्र जगेसिंह
3. डूंगरसिंह पुत्र उदयसिंह
4. कानसिंह पुत्र उदयसिंह
5. दुर्गसिंह पुत्र उदयसिंह
6. सरदारसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
7. रेखा पत्नी गोविन्दसिंह जातिगण रावत निवासीगण दादों की ढाणी, ग्राम खोडिया, बगडी नगर तह0 सोजत, जिला— पाली।

अप्रार्थीगण:
1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति:—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार (भूमि धारक) स्वयं उपस्थित।

दिनांक :— 01/07/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110, 111 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा खोडिया पटवार हल्का खोडिया भू अ.नि. गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 450, 456 कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0300 हैक्टर तथा इसी प्रकार खसरा नंबर 451, 460, 461, 462 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.5400 है0 की आई हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण सं0 3 से 5 की माता नैनूदेवी पत्नी उदयसिंह का 1/16—1/16 हक हिस्सा आता है। नैनूदेवी का स्वर्गवास हो जाने से नैनूदेवी का हक हिस्सा उनके विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी सं0 3 से 5 में बहिस्सा बराबर बराबर निहित हो चुका है तथा नैनूदेवी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रार्थी सं0 3 से 5 राजस्व रेकर्ड में पूर्व में दर्जसुदा हैं। उक्त वर्णित खसराजात की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी कर सीमांकन निश्चित नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो तरफ तारबन्दी कर फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे है, जिससे आवारा पशुओ द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में लगी हुई फसलो को नष्ट कर देते है इस हेतु प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करने व पत्थर गढ़ी करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16/05/2023 को अप्रार्थी तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों का सीमांकन किया, लेकिन सीमांकन की अलग से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट इत्यादि तैयार नहीं की गई। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि की सीमायें तय कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत से निवेदन करने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने से साफ इन्कार कर दिया तथा मौखिक रूप से यह निर्देशित किया कि पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सोजत से अलग से आदेश प्राप्त करना होगा तभी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी की जा सकेगी। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा खोड़िया के विवादित खसरा नम्बर 450, 456, 451, 460, 461, 462 का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी कर तारबंदी पुलिस इमदाद के जरिये मुटाम लगवाया जाने का निवेदन किया हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)